आदेश पर कार्रवाई क्रम टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

रामचन्द्र राम, पिता-कार्तिक राम, ग्राम-केसुरा, पोस्ट-रोला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-केसुरा, थाना नं0-182, खाता संख्या-42, 57, 69, 25, 51, प्लॉट संख्या-1252, 1253, 1254, 1256, 1255, रकवा-0.20डी0, 0.50डी0, 1.50डी0, 0.80डी0, 01डी0 कुल रकवा-04 डी0 भूमि बिजय राम, पिता-स्व0 बाबुलाल बाल्मिकी, ग्राम-मंगल बाजार, अम्बेदकर नगर, गाड़ी खाना, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 259/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता बिजय राम एवं विक्रेता रामचन्द्र राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 2.53 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं सर्वे खतियान उत्तीम भुईयां के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को केवाला/खतियान से हासिल है। केवाला से हासिल भूमि का जमाबंदी पंजी-II के पृष्ट सं0 4/IV पर रामचन्द्र राम के नाम जमाबंदी कायम है। खतियान से हासिल भूमि का जमाबंदी पंजी-II के पृष्ट सं0 51B/I पर एवं ऑनलाईन में 85/I पर रामचन्द्र राम के नाम जमाबंदी कायम है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता रामचन्द्र राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/195969 दिनांक-30.05.2019 एवं उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2019/225361 दिनांक-17.05.2019 और क्रेता बिजय राम का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2021/138996

संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशों पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	दिनांक–01.04.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2021/31081 दिनांक–15.06.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–केसुरा, थाना नं0–182, खाता संख्या–42, 57, 69, 25, 51, प्लॉट संख्या–1252, 1253, 1254, 1256, 1255, रकवा–0.20डी0, 0.50डी0, 1.50डी0, 0.80डी0, 01डी0 कुल रकवा–04 डी0 भूमि भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.02 17:58:07 +05:30
Location: 192.168.100.2